

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

27-JAN-1973

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 12] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 8, 1973/गौ० 18, 1894

No. 12] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 8, 1973/PAUSA 18, 1894

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

---

**MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION**

(Department of Labour and Employment)

**ORDER**

*New Delhi, the 6th January 1973*

**S.O. 13(E).**—Whereas in the opinion of the Central Government, it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas any strike or lock-out in any service connected with the supply of electrical energy to the public in the State of Tamil Nadu or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply and in any of the other works connected with the Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli, would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strikes or lock-outs in the said Corporation;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits, with immediate effect, any strike or lock-out in connection with any industrial dispute in the said Corporation for a period of six months.

[No. F. S. 42025/11/72-LRI.]

D. S. NIM, Jt. Secy.

## श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1973

का० छा० 13 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाएं रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

और यतः तमिल नाडु राज्य में जनता को विद्युत-ऊर्जा की पूर्ति या ऐसी पूर्ति के प्रयोजन के लिए विद्युत-ऊर्जा पैदा करने, संचित करने या सम्प्रेषित करने से सम्बन्धित किसी सेवा में और नेवेली लिगनार्ड कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली से सम्बन्धित किसी अन्य कर्मशाला में कोई हड़ताल या तालाबन्दी समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाएं रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इसलिए उक्त कारपोरेशन में हड़तालों या तालाबंदियों को रोकना आवश्यक और समीचीन है;

अतः अब, भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त कारपोरेशन में किसी औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित किसी हड़ताल या तालाबन्दी को छः माह की अवधि के लिए तुरन्त प्रतिषिद्ध करती है।

[संख्या एस-42025/11/72-ग्ल० आर०-1]

डी० एस० निमि, संयुक्त सचिव।